



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 जनवरी, 2019 ई0

माघ 04, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 91/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-30

देहरादून, 24 जनवरी, 2019

### अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 6 वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017, के क्षेत्र-विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण 2- इस मद में वस्तुओं का केवल वही परिवहन शामिल है, जो कि भारत में स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित किसी दूसरे स्थान तक होता है, अर्थात् भारत के ही भीतर बहुप्रकारीय परिवहन ”

- उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा ।
- यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव ।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.91/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-30**, dated Dehradun, January 24, 2019 for general information:

No. 91/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-30

Dated Dehradun, January 24, 2019

### Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, as amended from time to time, the Governor is pleased to allow to insert the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (vi), namely:-

*“Explanation 2.-Nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India”.*

2. The existing *Explanation* in the above items shall be renumbered as *Explanation 1*.

3. This notification shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of January, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,  
Secretary.